

23.07.2025 वकील प्रार्थी अननुपस्थित / चूंकि
मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति
में आवेदन पत्र आगे चलाने का उचित नहीं
है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र इसी स्टेज
पर खारिज किया जाता है।

फावली कैसल सुमार होकर हाजिर
दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा